

क्रमांक:-

दिनांक:-

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट..... ७/१५.....

२०२५/६५६

दिलीप बनाम सरका

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६

निर्णय दिनांक:- १९/०९/२५

पटवारी हल्का बासराजपुर भू. अभिलेख निरीक्षक तालचिप्रा की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के तहत राजस्व ग्राम गिदानी के खाता संख्या ९५ में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व नाम	ग्राम का	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	गिदानी		९५		दुलीचन्द	दिलीप	
02.							
03.							
04.							

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट..... ७/१५.....

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
02. पटवारी, पटवार हल्का.....।
03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

